



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2010/ज्येष्ठ 17, 1932

No. 155]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2010

फा. सं. एल-7/14/2010-केंविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 (1) तथा 178 (यड.) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2010 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ से, अपेक्षित न हो—
 - (क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है जिसमें उसके संशोधन भी सम्मिलित हैं;
 - (ख) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
 - (ग) "संकुलन रकम" का वही अर्थ है जो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बाजार) विनियम, 2010 में है;

(घ) "संकुलन प्रभार" का वही अर्थ है जो समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 में है;

(ङ) "निधि" से इन विनियमों के विनियम 3 के अधीन गठित ऊर्जा प्रणाली विकास निधि अभिप्रेत है;

(च) "रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार" का वही अर्थ है जो भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता विनियम, 2010 में है।

(छ) "अननुसूचित विनियम प्रभार" का वही अर्थ है जो समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनियम प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 में है।

(2) यथापूर्वोक्त और जब तक संदर्भ या विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा उसके अधीन बनाए गए विनियमों में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम या विनियमों में उसका है।

(3) समय-समय पर यथासंशोधित साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के उपबंध इन विनियमों के निर्वचन के लिए ऐसे लागू होंगे मानो वे संसद् के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होते हैं।

3. निधि का गठन :

- (1) "ऊर्जा प्रणाली विकास निधि" नामक निधि का गठन किया जाएगा तथा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा :—

(क) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 के अनुसार संकुलन प्रभार ब्याज सहित, यदि कोई हो, को प्राप्त करने के लिए हकदार प्रादेशिक इकाइयों को संदेय रकम देने के पश्चात् "संकुलन प्रभार खाता" के नाम में जमा संकुलन प्रभार;

(ख) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बाजार) विनियम, 2010 के अनुसार पावर एक्सचेंज में बाजार विभाजन के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों की बाजार कीमत में अंतर से प्रोद्भूत संकुलन रकम;

(ग) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनियम प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुसार अननुसूचित विनियम प्रभारों के दावों का अंतिम निपटान करने के पश्चात् "अननुसूचित विनियम पूल खाता निधि" के नाम में जमा अननुसूचित विनियम प्रभार;

(घ) रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार खाते में जमा आरएलडीसी रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार;

(ङ) ऐसे अन्य प्रभार जो समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाएं :

परन्तु यह कि इस विनियम के खंड 1 के उप-खंड (क) से (घ) में यथाविनिर्दिष्ट स्रोतों से प्राप्त रकम तथा 30 अप्रैल, 2010 तक केंद्रीय पारेषण उपयोगिता की अभिरक्षा में ब्याज सहित रखी गई रकम को निधि में जमा किया जाएगा ।

(2) ऐसे अधिकरण, जो अपने-अपने विनियमों के अधीन संकुलन प्रभार, संकुलन रकम, अननुसूचित विनियम प्रभार रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार, तथा ऐसे अन्य प्रभार जो समय-समय पर, आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाएं, संगृहीत करने के लिए हकदार हैं, इस विनियम के खंड (1) के उप-खंड (क) से (ङ.) के अधीन या विनियम 5 के अनुसार ऐसे अन्य आधार पर जो प्रबंध समिति द्वारा ठीक समझे जाएं, निधियों में शेष रकमों को निधि में जमा करने के लिए अंतरण करेंगे ।

(3) सुसंगत विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, इस विनियम के खंड (1) के उप-खंड (क) से (ङ.) तक में उल्लिखित प्रत्येक निधि के लिए पृथक खाता बनाए रखा जाएगा ।

4. निधि का उपयोग :

निधि का उपयोग आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सुसंगत विनियमों के अधीन अनुज्ञेय प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

5. परियोजनाओं, स्कीमों तथा गतिविधियों की बाबत निधि का संवितरण :

(1) विनियम 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निधियों में रकम का संवितरण इन विनियमों के विनियम 4 में उल्लिखित परियोजनाओं, स्कीमों या गतिविधियों के लिए किया जाएगा ।

(2) प्रबंध समिति इन विनियमों के उपबंधों से संगत निधि से संवितरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार करेगी ।

(3) शंकाओं को दूर करने की दृष्टि से, यह और स्पष्ट किया जाता है कि आयोग की अनुमति के बिना निधि से कोई भी रकम संवितरित नहीं की जाएगी ।

6. पहचान और पूर्विकता के लिए प्रक्रिया :

(1) विनियम 7 के अधीन यथागठित प्रबंध समिति निधि वित्तपोषित किए जाने के लिए प्रस्तावित स्कीम या गतिविधियों की संवीक्षा करेगी तथा सभी स्कीमों या गतिविधियों को निधि में संसाधनों की कमी के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है तो प्रबंध समिति आयोग के अनुमोदन से निधि देने के लिए परियोजनाओं, स्कीमों या गतिविधियों को पूर्विकता देगी ।

(2) यथास्थिति, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति, उत्पादन कम्पनियां, पोरषण अनुज्ञापिधारी, भार प्रेषण केंद्र पावर एक्सचेंज स्कीम की पहचान या पूर्विकता को सुकर बनाने के लिए प्रबंध समिति को परियोजनाओं, स्कीमों या गतिविधियों के आवश्यक व्यौर प्रस्तुत करेंगे ।

7. प्रबंध समिति :

(1) निधि के प्रशासन के लिए आयोग द्वारा एक प्रबंध समिति नियुक्त की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (i) एनएलडीसी/एनएलडीसी तथा आरएलडीसी के कृत्यों को करने वाली इकाई के प्रमुख को आयोग द्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित किया जाएगा;
 - (ii) प्रत्येक ऊर्जा समितियों (आरपीसी) के प्रतिनिधि;
 - (iii) प्रत्येक आरएलडीसी के प्रतिनिधि;
 - (iv) एनएलडीसी का अधिकारी, जो महाप्रबंधक की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे एनएलडीसी के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य संयोजक होगा; तथा
 - (v) आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो स्वतंत्र बाहरी सदस्य तथा जिसमें से एक सदस्य के पास आयोग की राय में, ऊर्जा क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो तथा अन्य सदस्य के पास ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक अनुभव होना चाहिए :
- परन्तु यह कि स्वतंत्र बाहरी सदस्यों की नियुक्ति नामनिर्देशन की उनकी स्वीकृति के अधीन रहते हुए होगी ।

(2) स्वतंत्र बाहरी सदस्यों से भिन्न, प्रबंध समिति का सदस्य उस अवधि के लिए पदधारण करेगा जिसके लिए उसे संबंधित संगठन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो।

(3) स्वतंत्र बाहरी सदस्यों की अवधि नामनिर्देशन की स्वीकृति की तारीख से दो वर्ष की होगी तथा वह दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रबंध समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा :

परंतु यह कि स्वतंत्र बाहरी सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(4) निधि के सचिव का नामनिर्देशन उपमहाप्रबंधक तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों में से एनएलडीसी के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा जो निधि के अभिलेखों के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) ज्येष्ठ प्रबंधक या उससे ऊपर के स्तर के एनएलडीसी के अधिकारी का नामनिर्देशन एनएलडीसी के अध्यक्ष द्वारा निधि के कोषाध्यक्ष के रूप में किया जाएगा।

(6) प्रबंध समिति का सदस्य अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा जिसकी लिखित सूचना वह निधि के अध्यक्ष को देगा :

परंतु यह कि त्यागपत्र की प्रति निधि के सचिव द्वारा आयोग को भेजी जाएगी :

परंतु यह और कि प्रबंध समिति का सदस्य, जब तक आयोग द्वारा उसके पद त्यागने की अनुमति नहीं दे दी जाती है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) की समाप्ति तक पदधारण करता रहेगा तथा उसके उत्तरवर्ती की सम्यक् रूप से नियुक्ति किए जाने तक या पद की अवधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा।

8. प्रबंध समिति के सदस्यों का हटाया जाना :

आयोग, सूचना देकर, प्रबंध समिति के किसी सदस्य को पद से हटा सकेगा, यदि वह—

- (क) न्यायालय द्वारा दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है;
- (ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें आयोग की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;
- (ग) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;
- (घ) अपनी स्थिति का ऐसे दुरुपयोग किया है जिससे प्रबंध समिति के पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (ङ) वह साबित कदाचार का दोषी रहा है;
- (च) समिति के अध्यक्ष से छुट्टी लिए बिना प्रबंध समिति की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित न हुआ हो; और

(छ) आयोग की राय में संतोषजनक रूप से अपने कर्तव्यों को करने में असफल रहा हो या असमर्थ हो :

परंतु यह कि ऐसी किसी प्रकार की अधिसूचना जारी करने से पूर्व, आयोग सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

9. प्रबंध समिति की बैठक :

(1) प्रबंध समिति की कम से कम चार बैठकें होंगी जो ऐसी तारीख तथा स्थानों में होगी जैसा प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा उचित समझा जाए तथा किसी भी दशा में दो बैठकों के बीच अधिमानतः छह मास से अधिक का अंतर नहीं होगा।

(2) प्रबंध समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता प्रबंध समिति का अध्यक्ष करेगा तथा यदि वह बैठक में भाग लेने में असमर्थ है तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य सदस्य, तथा ऐसे नामनिर्देशन की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों में से चयन किया गया सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) निधि का सचिव चौदह (14) दिनों की लिखित में सूचना देकर किसी भी समय प्रबंध समिति की बैठक बुला सकेगा। ऐसी सूचना में संव्यवहार किए जाने वाले कारबार का विस्तृत कार्यवृत्त अंतर्विष्ट होगा तथा किसी ऐसे संकलन का विवरण भी होगा जिसे बैठक में रखा जाना है:

परंतु यह है कि अति आवश्यकता की दशा में, प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय प्रबंध समिति की विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी, जो सदस्यों को विचार-विमर्श के लिए विषय-वस्तु तथा बैठक बुलाने के कारणों के बारे में अवगत करेगा। ऐसी विशेष बैठकों में कोई साधारण कारबार नहीं किया जाएगा।

10. कोरम :

(1) जब तक पांच सदस्य उपस्थित न हों तब तक प्रबंध समिति की बैठक में किसी प्रकार के कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा।

(2) यदि प्रबंध समिति की बैठक बुलाने के लिए नियत समय के पश्चात् आधे घंटे के भीतर कोरम नहीं होता है तो बैठक को उसी स्थान तथा सात दिन के लिए स्थगित किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य को ऐसे स्थगन की सूचना फैंक्स द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा शीघ्र दी जाएगी। यदि ऐसी स्थगित बैठक का कोरम इसके आरम्भ के आधे घंटे के भीतर नहीं बनता है तो उपस्थित सदस्य उस उस बैठक के कारबार के संव्यवहार के प्रयोजन के लिए कोरम बनाएंगे।

11. आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना :

(1) प्रबंध समिति की सदस्यता में किसी भी आकस्मिक रिक्ति को आयोग द्वारा शीघ्र ही भरा जाएगा।

(2) आकस्मिक रिक्ति के प्रति नियुक्त कोई भी व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक नियमित व्यक्ति नहीं आ जाता है या रिक्ति को नियमित आधार पर भरा नहीं जाता है।

12. समितियां तथा उप-समितियां :

प्रबंध समिति दिन प्रतिदिन के प्रचालनों तथा किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपने स्वयं के सदस्यों में से समितियों या उपसमितियों का गठन कर सकेगी।

13. कारबार के अभिलेख :

(1) निधि का सचिव प्रबंध समिति द्वारा संव्यवहार किए गए कारबार के अभिलेखों को बनाए रखेगा तथा ऐसे अभिलेखों की प्रतियां समय-समय पर आयोग को प्रस्तुत की जाएंगी।

(2) प्रबंध समिति की प्रत्येक बैठक में संव्यवहार किए गए कारबार के अभिलेख पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष या ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

14. मतदान :

प्रबंध समिति की किसी भी बैठक के समय आए सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा तथा मत में असमानता होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।

15. प्रबंध समिति के कृत्य :

(1) प्रबंध समिति "ऊर्जा प्रणाली विकास निधि" नामक एक खाता खोलेगी या ऐसे अन्य नाम से खाता खोलेगी जिसका विनिश्चय प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसे नई दिल्ली स्थित अनुसूचित बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य खाता पर उसका सहायक खाता के रूप में उक्त बैंक की किसी अन्य शाखाओं में खोला जाएगा जैसा प्रबंध समिति समुचित समझे।

(2) प्रबंध समिति पर्याप्त खाता बनाए रखेगी तथा स्वतंत्र निधि के रूप में निधि का प्रबंध करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि निधि को आयोग के खातों के साथ नहीं मिलाया गया है।

(3) निधि से निधियन के परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति पर प्रबंध समिति उपरोक्त विनियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट निधि के उद्देश्यों, परियोजनाओं की अनिवार्यता तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निधि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी।

(4) प्रबंध समिति भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन प्राधिकृत प्रतिभूतियों में निधि में रखे गए धन का विनिवेश कर सकेगी या अतिशेष निधियों के विनिवेश के लिए आयोग के अनुमोदन से समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकेगी।

(5) ऐसे प्रस्तावों की संवीक्षा करने के पश्चात् प्रबंध समिति निधि से संवितरण के अनुमोदन के लिए आयोग को लिखित में अपनी सिफारिशें भेजेगी :

परंतु यह कि परियोजनाओं, स्कीमों तथा गतिविधियों की समवर्ती मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए निधि के प्रभावी तथा पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र प्रणाली तैयार की जाएगी :

परंतु यह और कि यदि आयोग या प्रबंध समिति का यह समाधान हो जाता है कि निधि की संवितरित रकम का उपयोग समुचित रूप से नहीं किया जा रहा हो, तो आयोग या प्रबंध समिति के पास अतिशेष स्वीकृत निधि या उसके भाग को रोकने या निलंबित करने की शक्ति होगी।

(6) प्रबंध समिति, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों से परामर्श कर सकेगी या प्रबंध समिति की सहायता के लिए ऐसे निबंधनों तथा शर्तों, फीस, तथा पारिश्रमिक पर परामर्शकों की नियुक्ति कर सकेगी जैसा प्रबंध समिति द्वारा ठीक समझा जाए।

(7) प्रबंध समिति यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता, प्रबंध समिति के सदस्यों की बैठक फीस, भत्ते, संविदागत कर्मचारियों के पारिश्रमिक, प्रशासनिक खर्च, परामर्शकों, सलाहकारों, लेखापरीक्षकों या अन्य अधिकरणों की फीस का विनिश्चय करेगी जिनकी सेवाएं निधि को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं तथा ऐसे खर्चों की पूर्ति निधि में से की जाएगी।

16. निधि का प्रचालन :

(1) निधि के बैंक खाते का प्रचालन प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में पदाभिहित किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।

(2) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पर्याप्त प्राधिकार के सिवाय और/या प्रबंध समिति से स्वीकृति के पश्चात् निधि के लेखाओं से किसी भी प्रकार की निकासी नहीं करेगी।

17. निधि की संपत्ति या आय :

(1) निधि की सभी संपत्तियां, चाहे चल या अचल हों, निधि के नाम निहित होंगी तथा प्रबंध समिति द्वारा प्रशासित की जाएंगी।

(2) निधि के किसी भी भाग का उपयोग लाभांश, बोनस या अन्यथा के रूप में, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी समय निधि के सदस्य हैं या रहा है या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नहीं किया जाएगा :

परंतु यह कि इसमें की कोई बात प्रबंध समिति के किसी सदस्य या निधि के लिए दी गई सेवा के बदले किसी अन्य व्यक्ति या यात्रा भत्ता, विश्राम भत्ता और ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्भावपूर्वक पारिश्रमिक का संदाय करने से निवारित नहीं करेगी।

18. लेखाओं की संपरीक्षा :

(1) वार्षिक रूप से निधि के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए प्रबंध समिति द्वारा रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म/चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाएगी।

(2) प्रबंध समिति पर्याप्त लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगी तथा इस विनियम के खंड (1) के अनुसार नियुक्त संपरीक्षकों के परामर्श से ऐसे प्रारूप में, जैसा प्रबंध समिति द्वारा विनिश्चय किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी।

19. वार्षिक रिपोर्टें:

प्रबंध समिति निधि की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें तुलनपत्र तथा संपरीक्षा लेखा के साथ-साथ वर्ष के दौरान आरंभ किया गया कार्य भी है, तथा उसे आयोग की जानकारी के लिए प्रस्तुत करेगी। प्रबंध समिति निधि उपयोजन की संक्षिप्त तिमाही रिपोर्ट तैयार करेगी जिसे आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

20. निधि का विघटन:

(1) आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि निधि का विघटन ऐसी तारीख से ऐसी अवधि के लिए किया जाएगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) जब इस विनियम के खंड (1) के उपबंधों के अधीन निधि को विघटित किया जाता है तो—

- (क) प्रबंध समिति के सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, विघटन की तारीख से सदस्य के रूप में अपने पद को रिक्त कर देंगे।
- (ख) विघटन की अवधि के दौरान, प्रबंध समिति की सभी शक्तियाँ तथा कर्तव्यों का प्रयोग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो इस निमित्त आयोग नियत करे।
- (ग) सभी निधियाँ तथा निधि में निहित अन्य संपत्तियाँ विघटन की अवधि के दौरान, इस निमित्त आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी इकाई में निहित होंगी।
- (घ) विघटन की अवधि की समाप्ति के शीघ्र बाद निधि का पुनः गठन किया जाएगा।

21. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो आयोग साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगा जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

अलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10/असा.]

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY
COMMISSION
NOTIFICATION**

New Delhi, 4th June, 2010

F. No. L-7/14/2010/CERC.—In exercise of the powers conferred by Sections 178(1) and 178(2)(ze) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) Regulations, 2010.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires:

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto;
- (b) "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;
- (c) "Congestion Amount" has the same meaning as assigned to it in the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010;
- (d) "Congestion Charge" has the same meaning as assigned to it in the Central Electricity Regulatory Commission (Measures to Relieve Congestion in Real Time Operation) Regulations, 2009 as amended from time to time;
- (e) "Fund" means the Power System Development Fund constituted under Regulation 3 of these regulations;
- (f) "Reactive energy charges" has the same meaning as assigned to it in the Indian Electricity Grid Code Regulations, 2010;
- (g) "Unscheduled Interchange charges" has the same meaning as assigned to it in the Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Interchange Charges and related matters) Regulations, 2009 as amended from time to time.

(2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, or the regulations made thereunder by the Commission, shall have the meanings assigned to them respectively in the Act or the regulations.

(3) The provisions of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as amended from time to time shall apply for the interpretation of these regulations as they apply for the interpretation of an Act of Parliament.

3. Constitution of the Fund :

(1) There shall be constituted a fund to be called the "Power System Development Fund" and there shall be credited thereto.—

- (a) Congestion charges standing to the credit of the "Congestion Charge Account" after release of amounts payable to Regional Entities entitled to receive congestion charge along with interest, if any, in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Measures to Relieve Congestion in Real Time Operation) Regulations, 2009 as amended from time to time;
- (b) Congestion amount arising from the difference in the market prices of different regions as a

217465/10-2

consequence of market splitting in power exchanges in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010;

- (c) Unscheduled Interchange Charges standing to the credit of the "Unscheduled Interchange Pool Account Fund" after final settlement of claims of Unscheduled Interchange Charges in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Interchange Charges and related matters) Regulations, 2009 as amended from time to time;
- (d) RLDC reactive energy charges standing to the credit of Reactive Energy Charges Account;
- (e) Such other charges as may be notified by the Commission from time to time:

Provided that amounts representing the sources as specified in sub-clauses (a) to (d) of clause 1 of this regulation and lying in the custody of Central Transmission Utility together with interest earned thereon upto 30th of April, 2010 shall be credited to the Fund.

(2) The agencies which are authorized to collect Congestion charges, Congestion amount, Unscheduled Interchange charges, Reactive energy charges under the respective regulations and such other charges as may be notified by the Commission from time to time, shall transfer to the credit of the Fund the balance amounts in the charges under sub-clauses (a) to (e) of clause (1) of this regulation on monthly basis or such other basis as deemed fit by the Managing Committee in accordance with Regulation 5.

(3) Separate account shall be maintained for each fund represented in sub-clauses (a) to (e) of clause (1) of this regulation subject to other terms and conditions as specified in the relevant regulations.

4. Utilisation of the Fund :

The Fund shall be utilized for the purpose being permissible under the relevant regulations specified by the Commission.

5. Disbursement of Fund in respect of projects, schemes and activities :

(1) Subject to the provisions of Regulation 6, the amount in the funds shall be disbursed for the projects, schemes or activities mentioned under Regulation 4 of these regulations.

(2) The Managing Committee shall prepare a detailed procedure for disbursement from the Fund consistent with the provisions of these regulations.

(3) For the sake of removal of doubts, it is further clarified that no amount from the fund shall be disbursed without the approval of the Commission.

6. Procedure for identification and prioritization :

(1) The Managing Committee as constituted under Regulation 7 shall scrutinize the schemes or activities proposed to be financed from the Fund and if all the schemes or activities cannot be sanctioned due to shortage of resources in the Fund, the Managing Committee shall

prioritize the projects, schemes or activities for release of funds with the approval of the Commission.

(2) The Central Electricity Authority, Regional Power Committees, generating companies, transmission licensees, Load Despatch Centers, Power Exchange as the case may be, shall furnish necessary details of the projects, schemes or activities to the Managing Committee to facilitate identification and prioritization of the schemes.

7. Managing Committee :

(1) A Managing Committee shall be appointed by the Commission for the administration of the Fund, consisting of the following members:—

- (i) Head of NLDC/entity entrusted with the function of NLDC and RLDCs shall be designated by the Commission as the Chairperson of the Managing Committee;
- (ii) Representative of each of the Regional Power Committees (RPC);
- (iii) Representative of each of the RLDCs;
- (iv) an officer of NLDC, not below the rank of General Manager, as nominated by the head of NLDC shall be the Member Convenor; and
- (v) Two independent external members nominated by the Commission and of whom one member, in the opinion of the Commission, shall have special knowledge or experience in the field of finance in the power sector and other member shall have the wide experience in the power sector :

Provided that appointment of the independent external members shall be subject to their acceptance of the nomination.

(2) A member of the Managing Committee, other than the independent external members, shall hold office for the duration for which they have been nominated by the respective organization(s).

(3) The tenure of the independent external members shall be for a period of two years from the date of his acceptance of the nomination and he shall cease to be a member of the Managing Committee after expiry of two years:

Provided that the independent external members shall be eligible for re-appointment.

(4) The Secretary of the Fund shall be nominated by the head of the NLDC from amongst its officers of the level of Dy. General Manager and above who shall be responsible for the records of the Fund.

(5) An officer of the NLDC of the level of Senior Manager or above shall be nominated by the head of NLDC as the Treasurer of the Fund.

(6) A Member of the Managing Committee may, by notice in writing under his hand addressed to the Chairperson of the Fund, resign from his office:

Provided that a copy of the resignation letter shall be forwarded by the Secretary of the Fund to the Commission:

Provided further that the Member of the Managing Committee shall, unless he is permitted by the Commission to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of (thirty) 30 days from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of term of office, whichever is the earlier.

8. Removal of members of the Managing Committee :

The Commission may, by giving a notice, remove any member of the Managing Committee from his office, if he :

- (a) has been adjudged an insolvent by a court of law;
- (b) has been convicted of an offence by a court of law which, in the opinion of the Commission, involves moral turpitude;
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as a Member of the Managing Committee;
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member of the Managing Committee;
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office of the Managing Committee prejudicial to the public interest;
- (f) has been guilty of proven misbehaviour;
- (g) absents himself from three consecutive meetings of the Managing Committee without obtaining leave of absence from the Chairperson of the Committee.
- (h) in the opinion of the Commission, has failed or is unable to carry out his duties satisfactorily :

Provided that before issuing any such notification, the Commission shall give the member an opportunity of being heard in the matter.

9. Meetings of the Managing Committee :

(1) There shall be at least four meetings of the Managing Committee in a year on such dates and at such places as the Chairperson of the Managing Committee may deem fit and the interval between any two meetings shall not, preferably, exceed six months.

(2) At every meeting of the Managing Committee, the Chairperson of the Managing Committee shall preside or if he is unable to attend a meeting, any other Member nominated by the Chairperson in this behalf and, in the absence of such nomination, any Member chosen by the Members present from among themselves, shall preside over the meeting.

(3) The Secretary of the Fund may at any time convene a meeting of the Managing Committee by notice in writing of fourteen (14) days. Such notice shall contain a detailed agenda of the business to be transacted at the meeting and a statement of any resolutions to be put at the meeting :

Provided that in case of urgency, a special meeting of the Managing Committee may be convened at any time

by the Chairperson of the Managing Committee, who shall inform the Members of the subject matter for discussion and reasons for convening the meeting. No ordinary business shall be transacted at such special meetings.

(4) Notwithstanding anything contained hereinabove, the Commission may also at any time convene a meeting of the Managing Committee.

10. Quorum :

(1) No business shall be transacted at a meeting of the Managing Committee unless at least five of its Members are present.

(2) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting of the Managing Committee, quorum is not present, the meeting shall be adjourned to the same place and time seven (7) days later. Each Member shall be notified immediately by facsimile message or electronic mail of such adjournment. If at such adjourned meeting quorum is not present within half an hour of its commencement, the Members so present shall constitute a quorum for the purposes of the transaction of the business of that meeting.

11. Filling of Casual Vacancy :

(1) Any casual vacancy in the membership of the Managing Committee shall be filled by the Commission.

(2) Any person appointed against the casual vacancy shall hold office till the regular incumbent is available or the vacancy is filled up on regular basis.

12. Committees and Sub-Committees

The Managing Committee may constitute Committees or Sub-Committee(s) out of its own members to look after day-to-day operations or for any other specific purpose.

13. Record of Business :

(1) The Secretary of the Fund shall maintain the records of the business transacted by the Managing Committee and copies of such record shall be submitted to the Commission from time to time.

(2) The record of business transacted at every meeting of the Managing Committee shall be signed by the Chairperson of the Managing Committee or the Member presiding at such a meeting.

14. Voting :

All questions which come up before any meeting of the Managing Committee shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson or in his absence, the person presiding shall have a second or casting vote.

15. Functions of the Managing Committee :

(1) The Managing Committee shall open accounts titled "Power System Development Fund" or by such other name as may be decided by the Managing Committee with any of the Scheduled Banks/Nationalised Banks at New Delhi as the main account and with subsidiary accounts at such other branches of the said bank as the Managing Committee considers appropriate.

(2) The Managing Committee shall maintain proper accounts and manage the Fund as an independent fund and shall ensure that the Fund is not mixed up with the accounts of the Commission.

(3) On receipt of project proposals for funding from the Fund, the Managing Committee shall scrutinize such proposals having regard to the objects of the Fund as specified in Regulation 4 above, the importance of the project(s) and quantum of fund required for such project(s).

(4) The Managing Committee may invest the money lying in the Fund in securities authorized under the Indian Trusts Act, 1882 or frame guidelines from time to time with the approval of the Commission for the investment of balance funds.

(5) After scrutinizing such proposals, the Managing Committee shall submit its recommendations in writing to the Commission for approval for disbursement from the Fund :

Provided that an independent system for concurrent monitoring and evaluation of the projects, schemes and activities shall be evolved to ensure effective and proper utilization of the Fund :

Provided further that if the Commission or the Managing Committee is satisfied that the amounts disbursed out of the Fund are not being utilized properly, the Commission or the Managing Committee shall have the power to withhold or suspend the release of balance sanctioned fund or part thereof.

(6) In discharge of its functions, the Managing Committee may consult the Central Electricity Authority, generating companies or transmission licensees or appoint consultants to assist the Managing Committee on such terms and conditions, fees, and remuneration as deemed fit by the Managing Committee.

(7) The Managing Committee shall decide the TA/DA, sitting fees for members of the Managing Committee, allowances, remuneration of contractual employees, administrative expenses, fees of the Consultants, advisors, auditors and other agencies whose services are availed of by the Fund, and shall meet the said expenses from the Fund.

16. Operation of the Fund :

(1) The bank accounts of the Fund shall be operated by any two persons designated as authorised signatories by the Managing Committee from time to time.

(2) The authorized signatories shall not make any withdrawal from the accounts of the Fund except through proper authorisation and/or after sanction from the Managing Committee.

17. Property and Income of the Fund :

(1) All properties of the Fund, whether movable or immovable, shall vest in the name of the Fund and shall be administered by the Managing Committee.

(2) No part of the Fund shall be used directly or indirectly by way of dividend, bonus or otherwise, or by way of profit to persons who at any time are or have been

members of the Fund or to any of them or to any person claiming through them :

Provided that nothing herein shall prevent the payment in good faith of remuneration to a Member of the Managing Committee or to any other persons in return for service rendered to the Fund or for travelling allowance, halting allowance and such other charges.

18. Audit of Accounts :

(1) A registered chartered accountant firm/Chartered Accountant shall be appointed by the Managing Committee to audit the accounts of the Fund annually.

(2) The Managing Committee shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be decided by the Managing Committee in consultation with the auditor appointed in accordance with clause (1) of this regulation.

19. Annual Reports :

The Managing Committee shall prepare the annual report of the Fund including the work undertaken during the year, together with balance sheet and audited account, and submit the same for the information of the Commission. The Managing Committee shall prepare summarized quarterly reports of funds utilization which will be displayed on the website of the Commission.

20. Dissolution of the Fund :

(1) The Commission may, on being satisfied that it is necessary so to do in public interest, direct by notification in the Official Gazette that the Fund shall be dissolved from such date and for such period as may be specified in the notification.

(2) When the Fund is dissolved under the provisions of clause (1) this regulation,

(a) all members of the Managing Committee, notwithstanding that their term of office has not expired, shall from the date of dissolution, vacate their office as members;

(b) all powers and duties of the Managing Committee shall, during the period of dissolution, be exercised and performed by such person or persons as the Commission may appoint in this behalf.

(c) all funds and other properties vested in the Fund shall during the period of dissolution, vest with such entity to be nominated by the Commission in this behalf.


(3) As soon as the period of dissolution expires, the Fund shall be reconstituted.

21. Power to remove difficulties :

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act and the regulations made thereunder as may appear to be necessary for removing the difficulty.

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT. III/4/150/10-Exty.]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2015/आषाढ 17, 1937

No. 238]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2015/ASADHA 17, 1937

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2015

सं. एल-1/148/2014/केविआ.-केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178(1) और 178(2)(यड) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 है।
- (2) ये विनियम 1 जून 2015 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 4 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (3) के पश्चात् एक नया खंड निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"3(क) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विद्युत प्रणाली के विकास के हित में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कोई योजना, जिसमें योजना के भाग के रूप में पीएसडीएफ से सहायता अपेक्षित है, पीएसडीएफ से सहायता के लिए पात्र होगी।"

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./150/15/129]

टिप्पण: मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 171 तारीख 10.6.2014 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2015

No. L-1/148/2014/CERC.— In exercise of the powers conferred under Section 178 (1) and 178 (2) (ze) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend Central Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) Regulations, 2014 (hereinafter referred to as "The Principal Regulations"):

1. Short title, extent and commencement

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) (First Amendment) Regulations, 2015.

(2) These regulations shall come into force with effect from 1st June, 2015.

2. Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations: A new clause shall be added after clause (3) of Regulation 4 of Principal Regulations as under, namely:

“3(A) Notwithstanding anything contained in these regulations, any scheme sanctioned by the Central Government in the interest of development of power system which requires support from PSDF as part of the scheme shall be eligible for assistance from PSDF.”

SHUBHA SARMA , Secy.

[ADVT. III/4/Exty./150/15/129]

Note: The Principal Regulations were published on 10th June, 2014 in the Gazette of India Extraordinary Part III-Section 4 at Serial No.171.